



## विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/2016/3007

दिनांक :- 17-6-16

--: प्रमाण-पत्र :-

प्रमाणित किया जाता है कि मंदसौर इन्स्टीट्यूट ऑफ एज्युकेशन, मंदसौर, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालय है।

सत्र 2016-17 में महाविद्यालय में बी.एड. पाठ्यक्रम की अस्थाई सम्बद्धता निरंतरता हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसा को विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 10.06.2016 में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। उक्त बैठक के निर्णयानुसार महाविद्यालय को निरीक्षण समिति द्वारा इंगित की गई निम्नानुसार कमियों की पूर्ति पन्द्रह दिवस में पूर्ण करने का शपथ पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर सत्र 2016-17 में अस्थाई सम्बद्धता निरंतरता प्रदान की जाती है :-

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	सीट संख्या
01.	बी.एड.	पूर्व सत्रानुसार

शर्त :- 01. प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति परिनियम क्रमांक 28 के अन्तर्गत पूर्ण की जाये।

आदेशानुसार

क्रमांक/अकादमिक/2016/3008

प्रतिलिपि :-

01. प्राचार्य, मंदसौर इन्स्टीट्यूट ऑफ एज्युकेशन, मंदसौर
02. प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मंदसौर
03. निदेशक, महाविद्यालयीन विकास परिषद्, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन
04. उप/सहायक कुलसचिव, परीक्षा/गोपनीय/लेखा विभाग विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन
05. सम्बन्धक, ऑनलाईन सेंटर, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन
06. कुलपतिजी/कुलसचिवजी के निजी सहायक, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

अनुभाग अधिकारी (अकादमिक)

श/र



## विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2016/1488

दिनांक :- 07/05/16

--: सूचना :-

शिक्षा सत्र 2016-17 में नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय/आगामी कक्षा की सम्बद्धता/पूर्व स्वीकृत संख्या में वृद्धि/सम्बद्धता निरंतरता प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिये प्रस्तुत आवेदन पर विचार कर संबंधित महाविद्यालय का निरीक्षण करने हेतु माननीय कुलपतिजी द्वारा परिनियम क्रमांक 27 के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया गया है :-

A महाविद्यालय का नाम :- मंदसौर इंस्टीट्यूट ऑफ एज्यूकेशन, मंदसौर

B आवेदित विषय/पाठ्यक्रम :- (1) बी.एड.

C समिति के सदस्यों के नाम :-

01. डॉ. एच.पी.सिंह - आचार्य, सांख्यिकी अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
02. डॉ. ब्रजेन्द्रसिंह चौहान - आचार्य, सतत शिक्षा, अ.शा., विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
03. डॉ. उमेशसिंह - उपाचार्य, एस.ओ.ई.टी., विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि, वे निरीक्षण प्रतिवेदन में परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ प्राधिकृत, संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र भवन, क्रीड़ा परिसर, एवं पाठ्यक्रम आर्डिनेंस तथा पिछले सत्र में विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गयी विषयों की सम्बद्धता की शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण-पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट अनुशंसाएं अंकित करें।

संबंधित पाठ्यक्रम की मान्यता देने के लिये महाविद्यालय में उपलब्ध सुविधाएँ/संसाधन के भौतिक सत्यापन का समस्त उत्तरदायित्व निरीक्षण समिति का होगा। समिति के समस्त सदस्यों को इस निवेदन के साथ सूचनार्थ कि कृपया अविलम्ब उक्त महाविद्यालय का निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन एवं महाविद्यालय के निरीक्षण के दौरान की गई विडियोग्राफी की सी.डी. दो प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि उक्त महाविद्यालय को सम्बद्धता/निरंतरता दी जा सके। विडियोग्राफी के खर्च का वहन महाविद्यालय द्वारा ही किया जायेगा।

निरीक्षण समिति/समिति के सदस्यों का पारिश्रमिक/यात्रा भत्ता तथा समिति द्वारा प्रयुक्त वाहन के वास्तविक व्यय आदि की राशि का भुगतान संबंधित महाविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

आदेशानुसार

प्रो. इंचार्ज (अकादमिक)